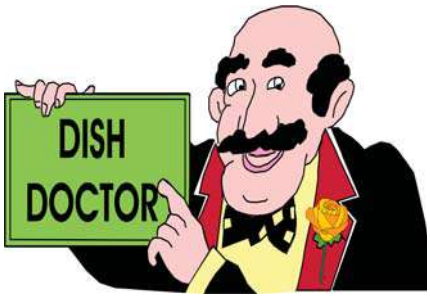

Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

PERMISSIONS

Q: What are the Grant Of Permissions By Department Of Space, Ministry Of Electronics And Information Technology And Ministry Of Power In Respect Of Telecom And Broadcasting Sector & Compliance Requirement At TRAI?

Giridhar Lal,
Broadcast Consultant, Raipur

Ans.: In addition to obtaining permission/ license from DoT/ MIB, there are some more permissions/ clearances required from other ministries and departments. To have a holistic view, the approvals required by other ministries are also reviewed in the Consultation Paper from the perspective of achieving EoDB in telecom and broadcasting sector only. Such ministries involved, their role in the said sectors, the ways suggested to ease out existing processes are discussed in this chapter. Satellite services are essential for business, social and scientific applications, delivering communications to many parts of the world. To operate a satellite network, it is necessary to obtain access to spectrum for uplink (Earth to space) as well as downlink (space to Earth) path. It is also necessary to secure an orbital position in space for the satellite. Spectrum and orbital positions are planned to avoid interference and ensure adequate separations between satellites. It is thus essential to have an

अनुमतियां

प्रश्नः ट्राई में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र और अनुपालन आवश्यकताओं के संबंध में अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा क्या अनुमतियां दी जाती हैं?

गिरिधर लाल,
प्रसारण सलाहकार, रायपुर

उत्तरः डॉट/एमआईबी से अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के अलावा अन्य मंत्रालयों और विभागों से कुछ और अनुमति/अनुमति की आवश्यकता होती है। समग्र दृष्टिकोण के लिए परामर्शपत्र में केवल दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ईओडीबी प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य से अन्य मंत्रालयों द्वारा आवश्यक अनुमोदन की भी समीक्षा की जाती है। इसमें शामिल मंत्रालयों उक्त क्षेत्रों में उनकी भूमिका, मौजूदा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुझाये गये तरीकों पर इस अध्याय में चर्चा की गयी है। सैटेलाइट सेवायें व्यावसायिक, सामाजिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है, जो दुनिया के कई हिस्सों में संचार पहुंचाती है। सैटेलाइट नेटवर्क को संचालित करने के लिए अपलिंक (पृथ्वी से अंतरिक्ष) और डाउनलिंक (अंतरिक्ष से पृथ्वी) पथ के लिए स्पेक्ट्रम तक पहुंच प्राप्त करना आवश्यक है। सैटेलाइट के लिए अंतरिक्ष में कक्षीय स्थिति सुरक्षित करना भी आवश्यक है। हस्तक्षेप से बचने और सैटेलाइटों के बीच पर्याप्त पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम और कक्षीय स्थितियों की योजना बनायी गयी है। इस प्रकार फ्रीक्वेंसियों को निर्दिष्ट

efficient mechanism to assign and coordinate frequencies.

DOS is involved in providing space segment capacity through the Indian National Satellite (INSAT) system. INSAT is a multi-agency, multi-purpose satellite system launched by Indian Space Research Organization (ISRO). It provides transponders in various bands to serve TV broadcasting and communication needs of India. The satellites in INSAT system are either built by DOS or procured. New Space India Limited (NSIL), the commercial arm of DOS is involved in provisioning transponders in C, extended C, Ku and Ka band on INSAT/ GSAT satellites. It caters to the satellite requirements like DTH, VSAT, TV (Uplinking/ Downlinking of channels), DSNG. In addition, NSIL is also provisioning transponder capacity from foreign satellites to Indian users on a back-to-back arrangement basis.

DOS allocates both fresh and additional space capacities required by following telecom and broadcasting services:

Commercial CUG VSAT service license

Captive CUG VSAT license

GMPCS Operators (Sui-Generis license-BSNL)

INSAT MSS-R license

Broadband/ Internet using Satellite

International Internet Gateway

DTH/HITS/Broadcasters/Teleport Operators

SNG/DSNG

To obtain a new satellite capacity or augment in existing network, an operator applies to the Apex Committee to get in-principle approval. This committee got renamed as Inter-Ministerial Committee for Satellite Network Clearance (IMC-SNC) post SATCOM reforms 2022. It has members from DOS, MIB, WPC & NOCC. It examines proposals for technical feasibility & compliance to TEC/ ITU specifications. user submits applications in prescribed INSAT/ GSAT Capacity Requirement Format (ICRF) through the concerned Ministry. ■

और समन्वयित करने के लिए एक कुशल तंत्र का होना आवश्यक है।

डीओएस भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट (इनसैट) प्रणाली के माध्यम से अंतरिक्ष खंड क्षमता प्रदान करने में शामिल है। इनसैट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा लॉन्च की गयी एक बहु एजेंसी, बहुउद्देश्यीय सैटेलाइट प्रणाली है। यह भारत की टीवी प्रसारण और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न बैंड में ट्रांसपौंडर प्रदान करता है। इनसैट प्रणाली में सैटेलाइट या तो डीओएस द्वारा बनाये जाते हैं या खरीदे जाते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), डीओएस की वाणिज्यिक शाखा, इनसैट/जीसैट सैटेलाइटों पर सी, एक्सटेंडेड सी, केयू और का बैंड में ट्रांसपौंडर का प्रावधान करने में शामिल है। यह डीटीएच, वीसैट, टीवी (चैनलों की अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग), डीएसएनजी जैसी सैटेलाइट आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, एनएसआईएल बैक-टू-बैक व्यवस्था के आधार पर विदेशी सैटेलाइटों से भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रांसपौंडर क्षमता प्रदान कर रहा है।

अंतरिक्ष विभाग
DEPARTMENT OF
SPACE
सत्यमेव जयते

डीओएस निम्नलिखित दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए आवश्यक नयी और अतिरिक्त स्थान क्षमतायें आवंटित करता हैः यानि सीयूजी वीसैट सेवा लाइसेंस

कैप्टिव सीयूजी वीसैट लाइसेंस

जीएमपीसीएस ऑपरेटर्स (सुई-जेनेरिस लाइसेंस-बीएसएनएल)

इनसैट एमएसएस-आर लाइसेंस

सैटेलाइट का उपयोग कर ब्रॉडबैंड/इंटरनेट

अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे

डीटीएच/एचआईटीएस/प्रसारण/टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स

एसएनजी/डीएसएनजी

नयी सैटेलाइट क्षमता प्राप्त करने या मौजूदा नेटवर्क में वृद्धि के लिए एक ऑपरेटर सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए शीर्ष समिति के पास आवेदन करता है। सैटकॉम सुधार **2022** के बाद इस समिति का नाम बदलकर सैटेलाइट नेटवर्क क्लीयरेंस (आईएमसी-एसएनसी) के लिए अंतर मंत्रालयी समिति कर दिया गया। इसमें डीओएस, एमआईबी, डब्लूपीसी और एनओसीसी के सदस्य हैं। यह तकनीकी व्यवहार्यता और टीईसी/आईटीयू विनिर्देशों के अनुपालन के प्रस्तावों की जांच करता है। उपयोगकर्ता संबंधित मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित इनसैट/जीसैट क्षमता आवश्यकता प्रारूप (आईसीआरएफ) में आवेदन जमा करता है। ■